

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-522 / 11
संस्थापित दिनांक-22.11.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
1- भगवान सिंह पुत्र भैरोलाल जाति लुहार उम्र 29 साल निवासी- ग्राम फतेहाबाद तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0आरोपीगण	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 27.01.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 10.10.2011 समय रात 9 बजे म्यूजियम के पास फतेहाबाद रोड पर आपने फरियादी फूलसिंह को धारदार अस्त्र से चोट पहुँचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट थाना चंदेरी में लेख कराई कि दिनांक 10.10.2011 को फरियादी आनन्द मेडीकल पर नौकरी करता है। उक्त दिनांक को शाम की बात करीब 9 बजे मेडीकल से वह फतेहाबाद जा रहा था। म्यूजियम के पास रोपर भगवान सिंह लुहार मिला और कहने लगा उसने पहले उसको बंद कर बाया था। आरोपी के हाथ में लोहे की छड़ थी, छड़ से उसकी मारपीट की जिससे फरियादी के कंधे व सिर में चोट आई। कंधे पर मुंदी चोट आई थी। भगवान सिंह के साथ 3 आदमी और थे वे रोड किनारे बैठे थे, वे भी फरियादी को मारने दौड़े। भगवान सिंह ने उसकी साईकिल पर पत्थर पटक दिया नुकसान हो गया। मौके पर कोई उपस्थित नहीं था। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान ६ टना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.10.2011 समय रात 9 बजे म्यूजियम के पास फतेहाबाद रोड पर आपने फरियादी फूलसिंह को धारदार अस्त्र से चोट पहुँचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फूलसिंह अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब 5 साल पुरानी है। घटना दिनांक को वह मेडीकल की दुकान से पर काम करके अपने घर फतेहाबाद जा रहा था। रास्ते में म्यूजियम के पास रोड पर आरोपी भगवान सिंह मिला जो उससे कहने लगा कि उसने उसे पहले बंद कराया था। इसी बात को लेकर भगवान से उसकी कहा सुनी हो गई थी और धक्का मुक्की में गिर जाने से उसे चोट आ गई थी जिसके संबंध में उसने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र. पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल कराया था। पुलिस ने घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी भगवान सिंह लोहे की छड़ लिये हुए था और उस छड़ से उसकी मारपीट की जिससे उसे चोट आई थी। इस बात से इंकार किया कि भगवान सिंह के साथ 3 आदमी और थे वह भी उसे मारने दौड़े थे। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट एवं कथन न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया इसका कारण नहीं बता सकता।

08— अभियोजन साक्षी भगवान सिंह अ0सा02 एवं मौकम सिंह अ0सा03 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं फरियादी/आहत ने घटना का समर्थन नहीं किया है कि घटना के समय आरोपी द्वारा उसकी मारपीट की गई थी एवं इस बात से भी इंकार

किया है कि आरोपी भगवानसिंह ने उसे लोहे की छड़ से मारा था। इस प्रकार प्रकरण में कथित घटना को लेकर प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है। प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में अभियोजन के अन्य साक्षी भगवान सिंह एवं मौकम सिंह के कथनों से कथित घटना की पुष्टि नहीं होती है।

09— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.10.2011 समय रात 9 बजे म्यूजियम के पास फतेहाबाद रोड पर आपने फरियादी फूलसिंह को धारदार अस्त्र से चोट पहुँचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त **भगवान सिंह पुत्र भैरोलाल अहिरवार उम्र 32 साल निवासी फतेहाबाद थाना चंदेरी** को भा.द.वि. की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

10— प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की छड़ मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशनुसार कार्यवाही की जावे।

11— अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0